न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 10/2015/अपील

1. पोखरमल पुत्र पन्नाराम जाति कुमावत निवासी नांगल तन बाय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
2. छोटीदेवी पत्नि मंगलचंद जाति कुमावत निवासिनी नांगल तन बाय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
3. श्रवण कुमार पुत्र मंगलचंद जाति कुमावत निवासी नांगल तन बाय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
4. पवनकुमार पुत्र मंगलचंद जाति कुमावत निवासी नांगल तन बाय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—अपीलार्थीगण

ब ना म

1. बजरंगलाल पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी बाज्यावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
2. सुरेश कुमार पुत्र गिरधारीलाल जाति जाट निवासी बनाथला तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
3. शिवभगवान पुत्र हनुमान बक्स जाति महाजन निवासी बाय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
4. ग्राम पंचायत जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बाय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
5. तहसीलदार तहसील कार्यालय दांतारामगढ जिला सीकर।

—रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध नामांतरण संख्या 864 दिनांकित 19.05.2015 द्वारा ग्राम पंचायत बाय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

उपस्थिति—

1. श्री रेखराज पारीक वकील अपीलांट्स की ओर सें।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

निर्णय दिनांक– 24.10.2019

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 923, 961 ता 963 किता 4 कुल रकबा 3.18 है0 वाके ग्राम बाय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी खातेदारी 5/24 दिनांक 20.08.2004 को अपीलार्थी को बेचान कर कब्जा उसी दिन संभला दिया। उक्त दिनांक सें रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक हिस्सा की भूमि पर कब्जा अपीलार्थीगण का चल रहा है। रेस्पोडेन्ट्स ने आपस में दुरभिसंधि कर एक नुमाईसी विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के हिस्से का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में दिनांक 12.05.2015 को करवा दिया। उक्त विक्रय पत्र बिना प्रतिफल के बिना कब्जा होने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 4 सें मिलीभगत करके बिना पंचायत की बैठक के नामांतरण संख्या 865 दिनांक 19.05.2015 को तस्दीक करवा लिया जो कि अनुचित अनाधिकृत, कार्यवाही के तहत तस्दीक किया है, जो नामांतरण संख्या 865 प्रथम दृष्ट्या ही निरस्त होने योग्य है क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा कब्जे की जांच नहीं की गई, विधिविरूद्ध नामांतरण तस्दीक किया गया, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस सूचित नहीं किया गया। अतः अपील प्रस्तुत कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि अपील स्वीकार की जाकर चुनौतीग्रस्त नामांतकरण संख्या 865 दिनांक 19.05.2015 को खारिज फरमाया जावे।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 लगायत 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील अपीलांट ने लिखित बहस पेश की। वकील अपीलांट की बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया कि अपीलाधीन नामांतकरण गलत तरीके सें बिना कब्जे की जांच किये तथा अपीलांट्स को नोटिस जारी किये बगैर तस्दीक किया गया है

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः ग्राम पंचायत बाय द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तकरण को निरस्त फरमाया जावें। दौराने बहस वकील अपीलांट ने RRD 2002 पेज 407, RLW 2002 page 204, RLW2002 RJ page 466, RLW 2002 RJ page 443 आदि न्यायिक दृष्टांतों का सहारा लिया।

3. हमने वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। **पत्रावली के अवलोकन सें स्पष्ट है कि अपीलांट की ओर सें केवल लिखावट के आधार पर इस्तदुआ चाही गई है तथा ऐसी कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया है जिसके आधार पर अपीलाधीन नामांतकरण को निरस्त किया जावे। विक्रय पत्र का नामांतरण निरस्त किये जाने हेतु अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई लिखावट पर्याप्त नहीं होने के कारण अपील अपीलांट खारिज की जाती है।**

यह निर्णय आज दिनांक 24.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, सांतारामगढ

Scanned with CamScanner